न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

रिवीजन क्र.:– .....

राजू शर्मा पिता कैलाशनारायण शर्मा निवासी पुराना पोस्ट ऑफिस के पास तह. खिलचीपुर

---रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद तहसील रोड तहसील खिलचीपुर

---अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा 311 नगरपालिका अधिनियम के तहत

महोदयः–

रिवीजनकर्तागण अपनी रिवीजन श्रीमान के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत करते है।

"रिवीजन के तथ्य"

1. यह कि सर्वे नम्बर1271/707 कृर्षि भूमि का डायबर्सन प्र.क.अ.–35–दिनॉक 10.01.44 मे संलग्न नक्शानुसार भवन को नगरपालिका खिलचीपुर मे भवन क.15 पर दर्ज किया गया था उक्त भवन विकय हो जाने के पश्चात उक्त भवन क. 15 नवीन भवन क. 54 पर दर्ज होकर भवन क. 54 मे से रीना जोशी पत्नि हरिओम जोशी एवं राजू शर्मा पिता कैलाशनारायण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रफल1085 वर्ग फिट कय कर उक्त भवन का नगरपालिका परिषद मे नामान्तरण कराते हुए विधिवत न्यायालय एस.डी.ओ.महोदय खिलचीपुर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त का अनावेदक के यहा से भवन निर्माण स्वीकृति सुचना पत्र क/निर्माण/15दिनॉक 15.12.15 को प्राप्त कर स्वय की स्वामित्व व आधिपत्य के भवन पर निर्माण कार्य शुरू करने पर कुछ लोगो द्वारा झुठी शिकायत कर शासकीय आम रास्ता बताते हुए अनावेदक के यहा शिकायत दर्ज की अनावेदक ने शिकायत पर रिवीजनकर्ता को सुने बगैर ही मिलीभगत करते हुए एक तरफा निर्णय करते हुए रजिस्टर्ड पंजीयन के आधार पर कोई आपत्ति नही आने के बाद किये गये नामान्तरण को अनावेदक द्वारा सुचना पत्र क.89/नामान्तरण/16खिलचीपुर दिनॉक 20.01.16 को नामान्तरण निरस्त कर देने से उससे असुन्तुष्ट होकर यह रिवीजन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जारही है

"रिवीजन के आधार"

2. यह कि रिवीजनकर्ता के स्वामित्व व अधिपत्त के भवन जो अनावेदक के यहा पुर्व से ही नामान्तरित हो कर चला आ रहा था जिसे अनावेदक द्वारा स्वामित्व प्रमाण–पत्र जारी अनुसार कय करने पर उक्त भवन रिवीजनकर्ता के नाम से अनावेदक के यहा विधिवत नामान्तरण किया गया था जिस पर 10X10 के कालम पर 15 फुट हाईट डालने के पश्चात उस पर आर.सी.सी. छत डाल कर भूतल पर कोई निर्माण कार्य नही कर स्वयं के आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य शुरू किया जाना था परन्तु निर्माण कार्य शुरू होते ही कुछ लोगो द्वारा शासकीय आम रास्ता बताते हुए झुठी शिकायत होने के कारण जाच किये बगैर ही अनावेदक द्वारा शिकायतकर्ताओ से मिलिभगत कर स्वत्व का निराकरण स्वयं के द्वारा करते हुए सुचना पत्र के द्वारा रिवीजनकर्ता के भवन का नामान्तरण निरस्त करने गंभीर भुल की है उक्त सुचना पत्र निरस्त किया जावे

3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा कय किये गया भवन उसके स्वामित्व व अधिपत्त का होकर अनावेदक के यहा कोई आपत्ती नही आने पश्चात विधिवत नामान्तरण किया गया था ओर राजस्व अभिलेख मे नवीन सर्वे नं.707/5/2/1 एवं सर्वे नं.707/5/2/2 कृषिभूमि भिन्न आशय के डायबर्सन शुल्क 25रू पर दर्ज है उस पर पुर्व से ही कोई शासकीय आम रास्ता नही है परन्तु झुठी शिकायत के आधार पर अनावेदक ने स्वत्व का निराकरण करते हुए सुचना पत्र के आधार पर जो नामान्तरण निरस्त किया है उक्त सुचना पत्र निरस्त किया जावे

4. यह कि अन्य मुददे बहस के दोरान प्रस्तुत किये जायेंगें

5. यह कि विवाद इसी क्षेत्र मे उत्पन होने से श्रीमान को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है

6. यह कि उक्त निगरानी उचित न्यायशुल्क पर समयावधि प्रस्तुत की जा रही है

7. अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व व अधिपत्त के पंजीयन द्वारा कय किये गया भवन का नामान्तरण के समय कोई आपत्ती नही आने पर हुये नामान्तरण का स्वत्व का निराकरण जो सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना था परन्तु उसे स्वयं अनावेदक द्वारा स्वत्व का निराकरण करते हुये सुचना पत्र क 89/नामान्तरण /2016दिनॉक 20.01.16 द्वारा भवन नामान्तरण जो निरस्त किया है रिवीजनकर्ता की रिवीजन स्वीकार करते हुए उक्त सुचना पत्र निरस्त किया जावे

दिनॉक 16.02.2016

रिवीजनकर्ता

R-1020-III/16 (राजगांव)
राजू v नगरपालिका।

28.6.2016

आवेदक की ओर से श्री एस०के० सिन्हा अभिभाषक ने प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है।

अध्यक्ष

28/6/16

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.